राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 122/2022

नन्नू सिंह राजपूत **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, अलवर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लिली, लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर।
5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.01.2022
आदेश की दिनांक : 21.04.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थीगण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.01.2022 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी की सेवाओं की अवधि की प्रथम नियुक्ति दिनांक 11.09.1993 से गणना करते हुए 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ समस्त एरियर सहित ग्रेड पे क्रमशः 4200, 4800 एवं 5400 में फिक्सेशन करते हुए ब्याज सहित भुगतान किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह अभिकथन है कि अपीलार्थी राजस्थान आश्रित नियम, 1975 के तहत आदेश दिनांक 17.08.1993 के द्वारा अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर नियुक्त हुआ था। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 11.09.1993 को नियमित पद के विरूद्ध कार्यग्रहण किया था। नियुक्ति के पश्चात् प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विभाग के निर्देशानुसार एस.टी.सी. प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु भेजा गया। वर्ष 2004 में अपीलार्थी ने एस.टी.सी. प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी की सेवाओं को प्रथम नियुक्ति दिनांक से गणना करते हुए 10 वर्ष की सेवा पर राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 25.01.1992 के

अनुसार अपीलार्थी की सेवाओं को दिनांक 11.09.1993 से गणना करते हुए अपीलार्थी को दिनांक 11.09.2003 से प्रथम ए.सी.पी. का लाभ दिया गया तथा 18 वर्ष की सेवा पर दिनांक 11.09.2011 से अपीलार्थी को द्वितीय ए.सी.पी. का लाभ दिया गया फिर 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रत्यर्थी विभाग को तृतीय ए.सी.पी. का लाभ देने हेतु फिक्सेशन हेतु प्रत्यर्थी संख्या 3 के कार्यालय में प्रेषित किया गया, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 3 के कार्यालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 12.01.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा आदेश पारित किए गए कि अपीलार्थी की सेवाओं की गणना एस.टी.सी. उत्तीर्ण करने की दिनांक के आधार पर चयनित वेतनमान ए.सी.पी. की गणना करते हुए देय है अर्थात् अपीलार्थी को एस.टी.सी. उत्तीर्ण करने की दिनांक 08.11.2004 से सेवाओं की गणना करते हुए चयनित वेतनमान देने के आदेश पारित किया गया, जबकि अपीलार्थी की नियुक्ति मृतक आश्रित सेवा नियम, 1975 व 1996 के नियमों के तहत चयन प्रक्रिया अपनाकर सेवा नियमों के अनुसार की गई है तथा विभागीय कोटे में प्रशिक्षण हेतु भेजने पर व कार्यमुक्त करने पर अपीलार्थी ने एस.टी.सी. प्रशिक्षण वर्ष 2004 में उत्तीर्ण किया है, जिसमें अपीलार्थी का कोई दोष नहीं है। अपीलार्थी राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है। अतः आलोच्य आदेश दिनांक 12.01.2022 अपीलार्थी को बिना सुनवाई के अवसर दिए हुए जारी किया गया है। उक्त आदेश नियम विरूद्ध होने से खारिज किए जाने योग्य है। अपीलार्थी को आश्रित नियमों के अंतर्गत नियमित नियुक्ति मिली है, उसे नियुक्ति तिथि से ही समस्त लाभ दिए जाने चाहिए।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी द्वारा एस.टी.सी. दिनांक 08.11.2004 को उत्तीर्ण की है। इसलिए चयनित वेतनमान हेतु अपीलार्थी की सेवाओं की गणना दिनांक 08.11.2004 से करते हुए चयनित वेतनमान देने के आदेश जारी किया है, जो नियमानुसार जारी आदेश है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी राजस्थान आश्रित नियम, 1975 के अंतर्गत अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर नियुक्त हुआ था। यह नियुक्ति नियमित नियुक्ति है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को एस.टी.सी. प्रशिक्षण हेतु भेजा गया, जिस पर अपीलार्थी ने दिनांक

08.11.2004 को एस.टी.सी. प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को विलम्ब से प्रशिक्षण हेतु भेजा गया, जिसमें अपीलार्थी का कोई दोष नहीं है। इस विलम्ब के कारण अपीलार्थी को हानि नहीं पहुँचाई जा सकती। जबकि उसकी नियुक्ति मृतक आश्रित सेवा नियमों के तहत आदेश दिनांक 17.08.1993 के आदेश द्वारा हुई थी। अपीलार्थी के समान तथ्यों पर कार्मिक विभाग ने भी आदेश दिनांक 02.06.2013 में यह निर्देश जारी किए हैं कि मृतक आश्रित सेवा नियमों के तहत नियुक्त कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति कार्यग्रहण दिनांक से मानी जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू.एल.सी. 2003 यू.सी. पेज 677 गोविन्द सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं रामचन्द्र बनाम अधिशाषी अभियंता व अन्य के प्रकरण (डब्ल्यू. एल. सी. (राज.) 1999 (1) पेज 258) के निर्णय में आश्रित नियमों के अंतर्गत की गई नियुक्ति को नियमित नियुक्ति ही माना है। इसलिए अपीलार्थी की सेवाओं की गणना कार्यग्रहण की दिनांक 11.09.1993 से गणना करते हुए चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.01.2022 उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी नियुक्ति तिथि से ही चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। अतः अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए आलोच्य आदेश दिनांक 12.01.2022 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जाता है और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी की सेवाओं की गणना कार्यग्रहण दिनांक 11.09.1993 से करते हुए 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ एवं समस्त एरियर सहित पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें। उक्त आदेश की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य